

राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ20(101/31)आयो/निकाशि/12-13/ 482 दिनांक: 29 अगस्त, 2012


मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण, विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय: वर्ष 2012-13 में आयोजना मद के अन्तर्गत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण कार्य एवं अन्य कार्यों को पूर्ण करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2012-13 में आयोजना मद के अन्तर्गत 05 राजकीय महाविद्यालयों में B.Ed. पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 50.00 लाख रुपये प्रति महाविद्यालय के हिसाब से कुल 250.00 लाख रुपये विभाग के आदेश क्रमांक एफ20(101/31)आयो/निकाशि/2012-13/191 दिनांक 06.06.2012, 08 राजकीय विधि महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ20(101/31) आयो/निकाशि/2012-13/196 दिनांक 19.07.2012, एवं राजकीय महिला महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर के भवन निर्माण हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ20(101/31)आयो/निकाशि/2012-13/195 दिनांक 19.07.2012 के द्वारा 1154.00 लाख रुपये, तथा 40 राजकीय महाविद्यालयों में महाविद्यालय भवन की मरम्मत, पुर्ननिर्माण एवं रख रखाव हेतु विभाग के आदेश क्रमांक एफ20(101/31)आयो/निकाशि/2012-13/371-75 दिनांक 19.07.2012 के द्वारा 600.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।


कृपया उपरोक्त महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करने का श्रम करें।


(डॉ. सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक

क्रमांक:एफ20(101/31)आयो/निकाशि/12-13/ 482 दिनांक: 29 अगस्त, 2012

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्राचार्यों को प्रेषित कर लेख है कि आवंटित राशि से शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करनवाने की कार्यवाही करें।
2. डॉ. धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता।


संयुक्त निदेशक